(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास)** : (क) और (ख) मुजफ्फरपुर के पूरे जिलों को दरभंगा के मौजूदा 10 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर तथा पटना के 100 कि०वा० मी०वे० ट्रांसमीटर से दिन के समय, प्राथमिक ग्रेड की कवरेज प्राप्त होती है । इसलिये, मुजफ्फरपुर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**फलों तथा सब्जियों के प्रसंस्करण की क्षमता**

1605. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़ी मात्रा में फल तथा सब्जियां उत्पादित की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इनका अधिकांश भाग प्रयोग न हो सकने के कारण नष्ट हो जाता है ;

(ग) यदि हां, तो यह कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है ;

(ङ) क्या सरकार ने नष्ट हो जाने वाले फलों तथा सब्जियों के प्रसंस्करण के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या समयावधि निश्चित की गई है तथा मार्च, 1991 के अन्त तक देश में खाद्य प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता क्या थी तथा स्थापित क्षमता में से कुल कितने प्रतिशत उत्पादन 1990-91 में प्राप्त किया जा सका ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गिरिधर गोमांगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) यद्यपि बर्बादी का कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है फिर भी यह समझा जाता है कि उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा परिवहन और वितरण में खराब हो जाने के कारण नष्ट हो जाता है । दूसरे अनुमान (1981 में) के अनुसार फार्म और फार्म के बाहर की दशाओं में यह नुकसान 40 प्रतिशत तक भी है ।

(ङ) लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना उद्यमियों पर निर्भर करती है । फिर भी ऐसे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के ऐसे उपक्रमों को सहायता देने की सरकार के पास स्कीमें हैं जो ऐसे उद्योगों को या तो स्वयं अथवा संयुक्त/सहायित सेक्टर में स्थापित करना चाहते हैं ।

(च) उपयुक्त स्कीमें आठवीं योजना की संपूर्ण अवधि के दौरान कार्यान्वित की जायेंगी । वर्ष 1990 के अंत तक फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की संस्थापित क्षमता लगभग 9.94 लाख टन थी । वास्तविक उत्पादन अनुमातः 3 लाख टन था ।

**Hazards of Airwaves from High Power Voltage Lines**

1606. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the hazards of airwaves from high-voltage power lines computer terminals and other technologies including Micro-waves which cause carcinogenesis; and

(b) whether Government are aware that USEPA propose to declare these so called low-frequency fields as probable human carcinogenesis; and

(c) if so, what corrective steps are proposed in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) High tension power cables, computer terminals and

some technical equipments are known to radiate microwaves and radio frequencies. However, their intensities at the user's location are relatively small and so far no evidence has come forward to establish a casual relationship with cancer. The international standards for manufacture and installation of these equipments also take into account safety aspects.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

**राजस्थान का औद्योगिक विकास**

1607. **डा0 अबरार अहमद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है तथा वहां इस समय कौन-कौन से उद्योग बन्द पड़े हैं तथा उन्हें कब तक पुनः चालू कर दिये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या राजस्थान के रेगिस्तान में पनप सकने वाले कोई कुटीर उद्योगों अथवा लघु उद्योगों के संबंध में सरकार ने कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो उसके ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या राजस्थान में औद्योगिक विकेन्द्रीकरण के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की कोई सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी0जे0 कुरियन) :** (क) राजस्थान में औद्योगिक विकास दर बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने दिसम्बर 1990 में एक नयी औद्योगिक नीति अपनायी थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था थी, जिसमें पूंजीगत निवेश राजसहायता तथा बिक्री कर, चुंगी, मंडी कर आदि में रियायतें व छूट शामिल हैं । नये एककों के लिए, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, एक विन्डो सेवा, औद्योगिक संवर्धन तथा मानव संसाधन विकास ब्यूरों की स्थापना औद्योगीकरण में मदद के लिए आवश्यक है ।

भारतीय रिजर्व बैंक की दिसम्बर, 1988 को समाप्त अवधि की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्ण एककों की संख्या 11,063 तथा गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्ण एककों की संख्या 45 है । इन एककों के लिए बैंकों, बी आई एफ आर आदि का पुनर्वास संबंधी अध्ययन विभिन्न अवस्थाओं में है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार उद्यमियों को केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में एककों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी में प्राथमिकता, रियायती वित्त, आदि जैसे प्रोत्साहन देती रही है ।

"उद्योग रहित जिलों" में पता लगाए गए विकास केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र सरकार की तत्कालीन सहायता योजना के तहत केन्द्र सरकार ने बाड़मेर, चुरू, जैसलमेर और सिरोही जिलों में विकास केन्द्रों की स्थापना करने का अनुमोदन किया है और केन्द्रीय सहायता के तौर पर 31-3-1990 तक इन जिलों के लिए 191.41 लाख रु0 दिए गए हैं ।

नयी विकास केन्द्र योजना के तहत राजस्थान को पांच विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं तथा चार केन्द्रों के स्थापना स्थल का चयन कर लिया गया है और इनकी घोषिणा कर दी गयी है । ये हैं : भीलवाड़ा (जिला भीवा भीलवाड़ा) झालवाड़ा (जिला झालावाड़), बीकानेर और आबू (जिला बीकानेर) रोड (जिला सिरोही) । पांचवें केन्द्र के स्थापना-स्थल का अभी चयन किया जाना है । ये विकास केन्द्र उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में आकृष्ट करने के लिए चुम्बक का कार्य करेंगे ।